अध्याय 2

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् मुख्यालय में वानिकी अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार की गतिविधियां इस प्रकार हैं :

वानिकी अनुसंधान

परियोजना सूत्रीकरण प्रभाग पहचान किए गए प्रमुखता वाले क्षेत्रों में परिषद् संस्थानों / केन्द्रों की अनुसंधान परियोजनाओं के सूत्रीकरण और इनकी निधीयन आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दाता एजेन्सियों में इन्हें प्रस्तुत करने के लिए परिषद् संस्थानों और सक्षम दाता एजेन्सियों के बीच एक नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करता है। यह दाता एजेन्सियों से परिषद् संस्थानों के लिए निधियों को निर्मुक्त करने का समन्वयन और पहचान किए गए प्रमुखता वाले क्षेत्रों में इनकी उपयुक्तता के संबध में परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन भी करता है।

तीस अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनाएं और 9 अन्तर्राष्ट्रीय कन्सेप्ट नोट्स दाता एजेन्सियों के पास निधीयन के लिए प्रस्तुत हैं, उदाहरण–जापान इन्टरनेशनल को–ऑपरेशन एजेन्सी – जापान, डिपार्टमेन्ट फॉर इन्टरनेशनल डवलपमेंट यू.के., यूरोपियन यूनियन, संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन, एशियन विकास बैंक आदि। उपर्युक्त के अलावा, 18 अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनाएं पहले ही कार्यान्वयन में हैं।

दो सो चार राष्ट्रीय परियोजनाएं और 13 कन्सेप्ट नोट्स 40 राष्ट्रीय दाता एजेन्सियों के पास निधीयन के लिए प्रस्तुत हैं। उदाहरण – जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, राष्ट्रीय तेल बीज और वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गोविन्द बल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान, कपड़ा मंत्रालय, सर रतन टाटा ट्रस्ट आदि। इसके अलावा, 144 राष्ट्रीय परियोजनाओं का पहले से कार्यान्वयन हो रहा है। परिषद् संस्थानों, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और अन्य एजेन्सियों से प्राप्त अनेकों अनुसंधान परियोजनाओं को पहचान किए गए प्रमुखता वाले क्षेत्रों में इनकी उपयुक्तता के संबंध में मूल्यांकित किया गया। इस प्रभाग ने त्रिपुरा, लक्षद्वीप और अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूहों की राज्य विकास रिपोर्टों को तैयार करने में योजना आयोग के साथ समन्वयन किया। अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राज्य विकास रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया गया।

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा निधीयन के लिए "बिहार राज्य की समुदाय आधारित समन्वित वन प्रबंधन एवं संरक्षण योजना" शीर्षक के तहत् व्यापक बिहार परियोजना तैयार की गई। यह परियोजना फेज–I के लिए रूपये 51.09 करोड़ के संशोधित बजट के साथ स्वीकृत कर दी गई है। फेज–II के लिए प्रस्तावित बजट रूपये 252.33 करोड़ का है।

अनुसंधान परियोजनाओं के निधीयन के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दाता एजेन्सियों का एक सार–संग्रह तैयार किया गया। वन विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 15 और 16 नवम्बर, 2005 को "भारत के वनों का इतिहास–1947 के बाद" विषय पर लेखक की कार्यशाला आयोजित की गई।

योजना और कार्यक्रम प्रभाग अनुसंधान निदेशालय के तहत है तथा यह भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् के अधीन सभी संस्थानों की जारी अनुसंधान परियोजनाओं का पुनरीक्षण और नए अनुसंधान परियोजना प्रस्तावों की योजना, प्रक्रमण एवं कार्यान्वयन का कार्य देखता है।

वर्ष 2005–2006 के दौरान, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् ने किसानों, गैर सरकारी संगठनों, वनाधारित उद्योगों तथा राज्य वन विभागों जैसे उपभोक्ता समूहों के साथ संस्थान स्तर पर अनुसंधान सलाहकार समूह बैठकों का समन्वयन किया। अनुसंधान सलाहकार समूहों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं को अन्तिम रूप से सातवीं अनुसंधान नीति समिति (आर पी सी.), परिषद् स्तर पर शीर्ष सलाहकार संस्था, के समक्ष रखा गया, जिसका आयोजन 22 और 23 मार्च, 2006 को किया गया।

सातवीं आर पी सी के दौरान, प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन, वानिकी विशेषज्ञों और वन आधारित उद्योगों के प्रतिनिधियों सहित आर.पी.सी. सदस्यों द्वारा 74 नयी परियोजनाओं पर विचार किया गया। आर.पी.सी. द्वारा 31 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई और रूपये दो लाख से कम वित्त वाली 28 परियोजनाओं को सातवीं आर पी सी द्वारा गठित उप समिति द्वारा स्वीकृति दी गई। दो परियोजनाओं की संस्तुति बाह्य निधीयन के लिए की गई और 13 को स्वीकृति नहीं दी गई।

योजना तथा कार्यक्रम प्रभाग ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् के शुरूआत से पूरी की गई अनुसंधान परियोजनाओं की एक सूची भी तैयार की है। एक दस्तावेज "ऐन इन्वेन्ट्री ऑफ कम्पलीटेड प्रोजेक्ट्स ऑफ आई सी एफ आर ई इन्स्टीट्यूट, 1990–2005" तैयार किया गया और इसे लगातार अद्यतन किया जा रहा है। दस्तावेज भा.वा.अ.शि.प. वेबसाइट पर उपलब्ध है।

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रभाग : परिषद् के अधीन यह प्रभाग विभिन्न विकासात्मक कार्यकलापों हेतु देशभर में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के लिए परामर्शी सेवाएं देता है। वर्ष 2005–2006 के दौरान इस प्रभाग द्वारा निम्न अध्ययन पूरे किए गए :

कुद्रमुख आइरन ओर कम्पनी लिमिटेड, कर्नाटक

कुद्रमुख आइरन ओर कम्पनी लिमिटेड (के आई ओ सी एल) देश में सबसे बड़ी 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी खनन इकाई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वयन को पूरा करने के लिए के आई ओ सी एल के लिए यह आवश्यक था कि वह खान को बदं करने की योजना तैयार करें और प्रस्तावित खान को बंद करने से एक साल पूर्व स्वीकृति के लिए क्षेत्रीय खान नियंत्रक को प्रस्तुत करे। भारतीय खान ब्यूरो के दिशा निर्देश के अनुसार कुद्रमुख आइरन ओर कम्पनी लिमिटेड के लिए अन्तिम रूप से खान को बंद करने की योजना तैयार की गई और केआईओसीएल को प्रस्तुत किया गया। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् द्वारा अपने काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर तथा केन्द्रीय जल एवं पावर अनुसंधान स्टेशन, पुणे के साथ समन्वय करके भारत में पहली बार खान बंद करने की योजना तैयार की गई। प्रस्तुत योजना भारतीय खान ब्यूरो द्वारा स्वीकृत कर दी गई है और के आईओसीएल द्वारा स्वीकार कर ली गई है।

लेक्या बांध का दृश्य और अग्रभाग में खनित क्षेत्र

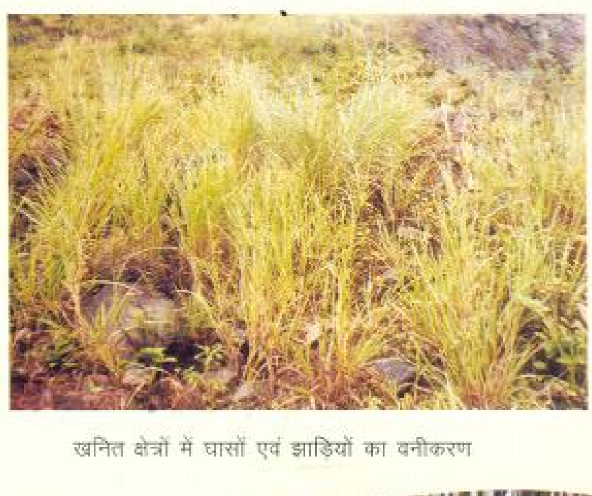

खनित क्षेत्रों में घासों एवं झाड़ियों का वनीकरण

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, सामाजिक आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन, गणना, पारिस्थितिकीय मान, जीन पूल की जैव विविधता क्षति और पर्यावरणीय प्रबंध योजना पर अध्ययन पूरा किया गया और बोधघाट जलविद्युत परियोजना (4x125 मे.वा.), दांतीवाड़ा के लिए मसौदा रिपोर्ट छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड, रायपुर को प्रस्तुत की गई।

उत्तरांचल के चमोली जिले में एनटीपीसी के लिए प्रस्तावित तपोवन–विष्णुगाड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 520 (4x130 मे.वा.) हेतु सामाजिक आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन किया और एनटीपीसी. को मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। परियोजना का बांध जोशीमठ जिला चमोली में अनिमठ में भूमिगत पावर हाउस के साथ गाँव तपोवन में धौली गंगा नदी पर बनाने का प्रस्ताव है।

परियोजना स्थल – तपोवन
विष्णुगाड जल–विद्युत परियोजना

परियोजना प्रभावित लोगों का
सामाजिक–आर्थिक प्रभाव

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नमूना जांच सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन अध्ययन

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारि–विकास बोर्ड द्वारा सौंपे गए इस कार्य के तहत भुवनेश्वर, उड़ीसा के तटवर्ती रक्षापट्टी रोपणों और उत्तर प्रदेश के झांसी प्रभाग की क्षेत्रोन्मुखी ईंधनकाष्ठ चारा कार्यक्रम योजना के संबंध में मूल्यांकन अध्ययन किए गए।

उपर्युक्त के अलावा परिषद् को निम्न कार्य सौंपे गए हैं:

(i) राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष विभाग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) निधीयित परियोजना का मानिटरन एवं मूल्यांकन।

(ii) चंडीगढ़ औद्योगिक क्षेत्र फेज–III के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन।

(iii) टिहरी डैम जल–विद्युत परियोजना, टिहरी जल–विद्युत विकास कारपोरेशन के लिए जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना का मूल्यांकन अध्ययन।

(iv) राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारि–विकास बोर्ड के तहत तथा एकीकृत वनीकरण एवं पारि–विकास परियोजना की 9वीं योजना के तहत राज्यों / संघ क्षेत्रों द्वारा उगाए गए क्षतिपूरक वनीकरण का मूल्यांकन।

जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन प्रभाग, अनुसंधान निदेशालय, भावाअशिप ने जलवायु परिवर्तन तथा जैव विविधता संरक्षण के विषयों के समाधान के लिए अल्प एवं दीर्घकालीन नीति कार्यक्रमों को शुरू किया है। यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण के साथ अच्छी प्रबंध पद्धतियों पर आई एस ओ एक अन्तर्राष्ट्रीय सर्वसम्मति है कि संगठन बारम्बार ऐसे उत्पादन अथवा सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, जो

ग्राहकों की गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा करें। प्रभाग भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् तथा वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के लिए आईएसओ 9001:2000 प्रमाणीकरण प्राप्त करने के प्रयास कर रहा है।

(क) जलवायु परिवर्तन

जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन प्रभाग, भावाअशिप ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित बाहर से सहायता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय दो परियोजनाएं शुरू की हैं :

1. **ई.यू.–इण्डिया स्माल प्रोजेक्ट फैसिलिटी प्रोग्राम "बीयोण्ड क्वेटो : ई.यू.–इण्डिया सीडीएम सहयोग' : पणधारी संवाद को प्रोत्साहित करना और वानिकी न्यूनीकरण परियोजना के लिए बाधा का विश्लेषण :** परियोजना का समग्र उद्देश्य भारत में स्थानीय स्तर पर द्विपक्षीय सीडीएम सिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सूचना के प्रसार और नीति सुधारों द्वारा एक योग्यकारी पर्यावरण का सृजन करना है। इस बात पर सर्वसम्मति थी कि जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण में ए व आर परियोजनाओं सहित सिंक परियोजनाओं की भूमिका को विशेषकर 2012 के बार वचनबद्धता अवधियों के लिए राष्ट्रीय एवं विश्व दोनों रूपों में रणनीतिकीकृत करने की आवश्यकता है।

जैवविविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग ने स्माल प्रोजेक्ट फैसिलिटी प्रोग्राम के अन्तर्गत यूरोपियन यूनियन द्वारा निधीयित ई.यू.–इण्डिया परियोजना के एक भाग के रूप में जोएनियम रिसर्च, आस्ट्रिया; फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी, जर्मनी तथा लारेन्स बर्कले नेशनल लेबोरेटरी, यूएसए के सहयोग से 23 और 24 जनवरी, 2006 को इण्डिया हैबिटेट सेन्टर, नई दिल्ली में परियोजना के परिणामों, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय विश्लेषण एवं परियोजना प्रस्ताव उपक्रम का उपयोग करके वानिकी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण पर द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

उद्योगों से राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, भारत सरकार के मंत्रालयों, राज्य वन विभागों, शैक्षिक संस्थाओं, वैज्ञानिक संस्थानों और इस क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों ने न्यूनीकरण प्रयासों हेतु, विशेषकर सीडीएम. परियोजनाओं के संदर्भ में, वानिकी क्षेत्र में अपने अनुभवों की चर्चा की और उन्हें आपस में बांटा। संस्तुतियों एवं प्रतिभागियों की सूची और सभी सत्रवार प्रस्तुतिकरण वाली सी.डी. सहित उपर्युक्त कार्यशाला की कार्यवाही सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों के सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षकों तथा परिषद् के क्षेत्रीय संस्थानों के निदेशकों और सभी प्रतिनिधियों को दी गई।

एक वेबसाइट http://euin-arcdm.icfre.org. सृजित की गई तथा सीडीएम परियोजनाओं पर सूचना के बेहतर प्रसार के लिए —–नोज एण्ड हाउज़ फॉर ए/आर सिंक प्रोजेक्ट" और एफएक्यू अबाउट ए/आर सीडीएम प्रोजेक्ट्स सहित सभी दस्तावेजों को किया गया।

2. **फॉर क्लाइमेट इण्डिया (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय–यूएसईपीए कार्यक्रम – वन एवं जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण नेटवर्क) :** फार्म भूमि, बाजपुर (उधमसिंह नगर, उत्तराँचल) की कार्बन न्यूनीकरण क्षमता के मूल्यांकन और फार्म वानिकी एवं सामुदायिक वानिकी, बेतालगथ (जिला नैनीताल, उत्तराँचल) के तहत कार्बन पृथक्करण क्षमता हेतु अध्ययन के लिए कार्य पद्धति पूरी की गई। आईआईसी नई दिल्ली में 13 और 14 अप्रैल, 2005 को "वानिकी न्यूनीकरण परियोजनाओं में कार्यपद्धतियां" विषय पर दो दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

फॉर क्लाइमेट इण्डिया परियोजना के तहत केश अध्ययन प्रगति पर है यथा– (क) सिंगरैनी कोयला क्षेत्र – बेलापल्ली, आंध्र प्रदेश में एल.यू.एल.यू.सी.एफ. एप्रोच द्वारा औद्योगिक न्यूनीकरण क्षमता का मूल्यांकन करना और (ख) देश में चयनित जलसंभरों में क्षेत्रीय आधार रेखा विकसित करना (उत्तरांचल राज्य)।

न्यूनीकरण क्षमता के लिए पादप जैवमात्रा में कार्बन आकलन के लिए कार्यपद्धति विकसित की गई और पीआरओ–सीओएमएपी के मॉडल के उपयोग प्रगति पर है।

महानिदेशक, भावाअशिप ने मॉन्ट्रियल, कनाडा में सीओपी / एमओपी–II की बैठक में भाग लिया।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद में 29 और 30 दिसम्बर, 2005 तक "जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण : सीडीएम फ्रेमवर्क के भीतर वानिकी एवं सिंक परियोजनाओं की भूमिका" पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित इस कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के तेरह भारतीय वन सेवा अधिकारियों ने भाग लिया।

(ख) जैवविविधता संरक्षण

संरक्षण की आवश्यकता पर अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय फोरम में समझौतों के साथ राष्ट्रीय जैवविविधता का संरक्षण एक प्राथमिकता बन गई है। जैवविविधता के सरंक्षण के लिए परिरक्षण भूखण्ड स्थानीय स्तर पर प्रबंध के उदाहरण हैं। जैवविविधता में परिवर्तन को प्रभावशाली ढंग से पोषण करने अथवा मानिटरन करने के सीबीडी लक्ष्यों को पूरा करने हेतु परिरक्षण भूखण्ड महत्वपूर्ण साधन हैं।

जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्, देशभर में तथा अन्य जैव समृद्ध क्षेत्रों में फैले 1927 से वअसं द्वारा सृजित परिरक्षण भूखण्डों का नवीकरण करके जैव विविधता के मानिटरन की प्रक्रिया को फिर से सक्रिय करने के लिए अपने क्षेत्रीय संस्थानों और राज्य वन विभागों के साथ एक संयुक्त उपक्रम स्थापित कर रहा है, जो परिरक्षण भूखण्ड नेटवर्क द्वारा क्षेत्र की पारिस्थितिकीय प्रणालियों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की प्रारम्भिक चेतावनी उपलब्ध कराएगा। पन्द्रह राज्यों ने उपलब्धता की पुष्टि कर दी है और स्थिति रिपोर्ट उपलब्ध कराई है।

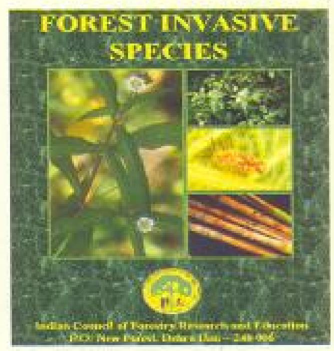

परिरक्षण भूखण्डों की 157 पुरानी फाइलों का अंकीकरण पूरा किया गया, जिन्हें विभिन्न राज्यों में 1927 के बाद से व.अ.सं. द्वारा सृजित किया गया और जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग में अभिलेख उद्देश्य के लिए सीडी में अभिलिखित किया गया है।

वन आक्रामक प्रजाति : जैविकीय विविधता पर सम्मेलन के तहत एक प्राथमिक विषय है, तदनुसार, परिषद् के क्षेत्रीय संस्थानों की सूचना पर आधारित एशिया प्रशान्त महासागर वन आक्रामक प्रजाति नेटवर्क (एपीएफआईएसएन) के लिए संशोधित फार्मेट के अनुसार "फॉरेस्ट इन्वेसिव स्पीसिज़" पर एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया, जिसे दो दिवसीय ई.यू. –आईसीएफआरई अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान इण्डिया हैबिटेट सेन्टर, नई दिल्ली में 24 जनवरी, 2006 को थिरू ए. राजा, माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया।

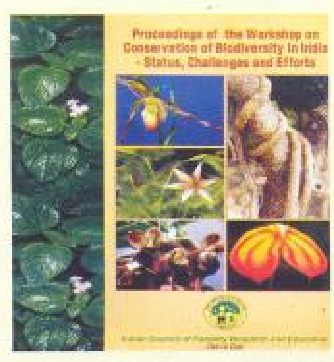

जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् ने जून, 2005 में "भारत में जैव विविधता–स्तर, चुनौतियां और प्रयास" पर कार्यशाला की कार्यवाही का प्रकाशन किया। इस प्रभाग ने एशिया पेसिफिक एसोसिएशन ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च

इन्स्टीट्यूशन्स (एपीएएफआरआई) और एशिया तथा प्रशान्त महासागर के लिए संयुक्त राष्ट्र वानिकी अनुसंधान सहायता कार्यक्रम के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ/फॉरेस्पा) द्वारा प्रायोजित 17 और 18 जून, 2003 को देहरादून, भारत में सम्पन्न "निर्धनता न्यूनीकरण के लिए वन : अनुसंधान, विकास एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए परिवर्तनशील भूमिका" शीर्षक के तहत कार्यशाला की कार्यवाही के सम्पादन और पाण्डुलिपि तैयार करने में भी सहयोग दिया (आर.ए.पी. प्रकाशन 2005/19)।

वानिकी शिक्षा

शिक्षा निदेशालय विश्वविद्यालय स्तर पर देश में वानिकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालयों को उनकी वानिकी संकायों की शिक्षण एवं अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने और अवसंरचनात्मक सुविधाओं को सशक्त बनाने के लिए सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इस योजना के तहत विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए कार्यकलापों में शामिल हैं : महाविद्यालय प्रयोगशाला और विद्यार्थी छात्रावास भवनों का निर्माण, उपकरणों की खरीद, पुस्तकालयों में पुस्तकों, पत्रिकाओं, जरनल एवं उपकरणों की खरीद; ग्लास हाउस, धूमिका कक्षों तथा इसी प्रकार की अन्य शिक्षण/अनुसंधान सुविधाओं का विकास; खेल–कूद तथा अन्य विद्यार्थियों की सुविधाओं का विकास; संचार एवं संग्रहालय तथा साधन केन्द्रों की स्थापना/सशक्त बनाना; प्रायोगिक प्रशिक्षण एवं विस्तार शिक्षा के लिए परिवहन एवं कैम्प उपकरणों की खरीद; कम्प्यूटर केन्द्रों का विकास और मिनी कम्प्यूटरों, पसर्नल कम्प्यूटरों एवं टर्मिनलों आदि की खरीद, शिक्षण नियम–पुस्तिका तथा अन्य सामग्री आदि को तैयार करने के लिए सहायता; कार्यशालाओं, सेमिनारों/संगोष्ठी आदि का आयोजन; राष्ट्रीय सेमिनारों/कार्यशालाओं/संगोष्ठियों आदि में शिक्षकों की सहभागिता; विद्यार्थियों के अध्ययन दौरे और विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित तथा भा.वा.अ.शि.प. प्रत्यायन समिति द्वारा आवश्यक समझे गए कोई भी अन्य कार्य।

यह निदेशालय भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् संस्थानों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एस.आर.एफ/आर.ए. की नियुक्ति भी करता है और संबंधित संस्थानों में जे.आर.एफ. के चयन के लिए समितियों की स्वीकृति सूचित करता है। साथ ही यह परिषद् और इसके संस्थानों के वैज्ञानिकों के लिए प्रशिक्षण/कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है ताकि इनकी तकनीकी जानकारी को अद्यतन किया जा सके।

नीति अनुसंधान प्रभाग शिक्षा निदेशालय का एक भाग है; जो वर्तमान वन नीतियों, अधिनियमों एवं इनके फ्रेमवर्क का पुनरीक्षण एवं विश्लेषण करता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने वानिकी क्षेत्र में नीतियों/कार्यक्रमों के विश्लेषण और इनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वांछित हस्तक्षेपों एवं अन्तरालों की पहचान करने के लिए सदस्य–सचिव के रूप में उपमहानिदेशक (शिक्षा) और महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है। यह समिति वानिकी नीति विषयों पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को सलाह भी देगी।

वानिकी विस्तार

मीडिया और प्रकाशन विभाग वानिकी क्षेत्र में अनुसंधान निष्कर्षों के प्रसार के लिए परिषद् के संस्थानों द्वारा अपनाई जा रही विस्तार गतिविधियों एवं रणनीतियों को देखता है। यह प्रभाग परिषद् संस्थानों के विविध कार्यकलापों का मासिक ब्यौरा रखता है और इनसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को अवगत कराता है। परिषद् का त्रैमासिक न्यूजलैटर परिषद् संस्थानों द्वारा की गई नवीनतम महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्रकाशित करता है। परिषद् ब्राशुअर्स अद्यतन सूचना के साथ प्रकाशित किया जाता है। परिषद् और इसके संस्थानों की रिपोर्टों को एकत्रित, संकलित, सम्पादित करके परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया जाता है और जिसे संसद के पटल पर रखा ज़ाता है। इस प्रभाग द्वारा परिषद् संस्थानों द्वारा पुस्तकों, पुस्तिकाओं, पम्फलेटों और तकनीकी रिपोर्टों का सम्पादन, शोधन एवं प्रक्रमण करना अन्तिम प्रकाशन से पूर्व आवश्यक है।

सांख्यिकी प्रभाग : इस निदेशालय के इस प्रभाग ने नई दिल्ली में वानिकी सांख्यिकी पर एक राष्ट्रीय स्तर का परामर्श किया। विशेषज्ञ समूह सदस्य के रूप में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वन आंकड़ा आधार प्रबंध प्रणाली में परिषद् ने भाग लिया। प्रभाग ए.सी.एस.ओ. द्वारा प्रायोजित देशभर में प्रकाष्ठ तथा गैर–प्रकाष्ठ वन उत्पादों की दरों एवं अनुपात के आकलन का एक सैम्पल सर्वेक्षण कर रहा है। इन्टरनेशनल ट्रापिकल टिम्बर आर्गेनाइजेशन (आईटीटीओ) ने परिषद् को राष्ट्रीय स्तर पर उष्णकटिबंधीय प्रकाष्ठ एवं अन्य वानिकी पैरामीटर से संबंधित सांख्यिकी के संग्रहण, प्रक्रमण एवं प्रसार को सरल करने के लिए नेटवर्क की स्थापना पर परियोजना दी है। "टिम्बर/बैम्बू ट्रेड बुलेटिन" के चार अंकों का प्रकाशन किया गया। सांख्यिकी पर वअसं सम विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं कक्षाएं भी चलाई गई।

सामान्य प्रशासन

सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ, प्रशासन निदेशालय, भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय और व.अ.सं. में उपभोक्ताओं की सभी सूचना प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रकोष्ठ के कार्यकलाप हैं : लॉन–वॉन–सहायता; हार्डवेयरों की खरीद और रखरखाव; ई–गवर्नेन्स; प्रशिक्षण तथा बैठकों, सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं में तकनीकी प्रस्तुतिकरण के लिए आई.टी. सहायता उपलब्ध कराना। मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं :–

नेटवर्क कक्ष

- परिषद् मुख्यालय और व.अ.सं. में जिगाबिट बैकबोन के साथ लोकल एरिया नेटवर्क का उच्चीकरण सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।
- वेबसाइटों – www.icfre.org.; rfri.icfre.org.; euin-aredm.icfre.org; marketinfoherbs.icfre.org.; और 21apfe_ddn.icfre. का विकास एवं अद्यतन।
- ई–गवर्नेन्स कार्यकलापों के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली को परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
- 3–टियर प्रौद्योगिकी पर आधारित एमआईएस/आरआईएस विकास के लिए उच्चीकरण योजना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रस्तुत की गई।
- परिषद् और इसके संस्थानों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
- सम–विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातकोत्तर कक्षाओं की सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं को संकाय सहायता उपलब्ध कराई गई।

- पीएचडी विद्यार्थियों को कम्प्यूटर अनुप्रयोग प्रशिक्षण दिया गया।

उत्कृष्टता के लिए आई.सी.एफ.आर.ई अवार्ड

नीचे उल्लिखित विषय क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए निम्न को वर्ष 2005–2006 के लिए उत्कृष्टता का आई.सी.एफ.आर.ई. अवार्ड प्रदान किया गया।

1. डॉ. चन्द्र प्रकाश काला, पौड़ी गढ़वाल को "वन संरक्षण (जैव–विविधता एवं पारिस्थितिकी)" के क्षेत्र में।
2. डॉ. टी. सीकर, भावसे., कोयम्बटूर को "वन शिक्षा" के क्षेत्र में।
3. श्री आर. विजेन्द्र राव, वैज्ञानिक, काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर को "वन उपयोजन" के क्षेत्र में।

अध्याय 3

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् के संस्थान एवं केन्द्र

अनुसंधान संस्थान

- वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून 3.1
- वन आनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर 3.2
- काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर 3.3
- उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर 3.4
- वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट 3.5
- शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर 3.6
- हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला 3.7
- वन उत्पादकता संस्थान, रांची 3.8

अनुसंधान केन्द्र

- सामाजिक वानिकी एवं पारि–पुनर्स्थापन केन्द्र, इलाहाबाद 3.9
- वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास केन्द्र, छिंदवाड़ा 3.10
- वन अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद 3.11